COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

Satyanarayan Sheohare ***SC ST case No. 190/2019***

Addl. Sessions *Judge* I-cum-Special Judge SC/ST, Jamui

Anil Singh and Vicky Singh Vs. State of Bihar

15-05-2026

अभियुक्तगण अनिल सिंह एवं विक्की सिंह की हाजरी है। पुकार पर अभियुक्तगण एवं उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 323/34, 341, 386, 387, 504, 506 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(r) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये दिनांक 12.12.2019 को आरोप का गठन हुआ था तथा विचारण के दौरान मात्र एक अभियोजन साक्षी का साक्ष्य हुआ। अभियोजन साक्षी संख्या 1 नरेश पासवान, जो काण्ड की सूचक एवं कथित पीड़ित है, ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि **उसके साथ अभियुक्तो ने कोई गाली–गलौज नहीं किया था। गलतफहमी में मुकदमा हो गया था। दोनों पक्ष में मेल–मिलाप हो गया है। इसलिये वह आगे मुकदमा नही लड़ना चाहता है।** अतः अभियुक्तो को द0प्र0स0 की धारा 232 का लाभ प्रदान करने की कृपा की जाए।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनपरांत मैं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों से सहमत हूं। इस मामले में एकमात्र अभियोजन साक्षी का साक्ष्य हुआ। अभियोजन साक्षी संख्या 1 नरेश पासवान, जो काण्ड की सूचक एवं कथित पीड़ित है, ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि **उसके साथ अभियुक्तो ने कोई गाली–गलौज नहीं किया था। गलतफहमी में मुकदमा हो गया था। दोनों पक्ष में मेल–मिलाप हो गया है। इसलिये वह आगे मुकदमा नही लड़ना चाहता है। आज ना तो साक्षी की हाजरी है और ना ही साक्ष्य हेतु समयावेदन है। उभयपक्षो में सुलह हैं। इन्ही सभी बातों को ध्यान में रखते हुये मेरे विचार से मामले को लंबित रखने से कोई उद्देश्य पूर्ण होने वाला नही है।** अतः मेरे विचार से अभियुक्तगण को द0प्र0सं0 की धारा 232 का लाभ देना न्यायोचित होगा। अतः साक्ष्य बंद कर, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण अनिल सिंह एव विक्की सिह, जो न्यायालय में उपस्थित है, की जांच कर अभियुक्तगण को द0प्र0सं0 की धारा 232 के अंतर्गत इस मामले में लगे आरोप से दोष–मुक्त किया जाता है, उन्हें तथा उनके जमानतदारों को भी बंध पत्र के दायित्व से उन्मुक्त किया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।